तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/8/19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी एवं अन्य खातेदारो की संयुक्त एवं अविभाजित खातेदारी के खेत मौजा तालो का पार तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 1023, 1259/1023 रकबा क्रमशः 21.03, 4.00 बीघा कुल रकबा 25.03 बीघा भूमि मे वादी अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। वादी एवं अन्य हिस्सेदार मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा वादग्रस्त खेत वादी के पिता बालुराम द्वारा खरीद किया हुआ है। जिस वक्त वादग्रस्त खेत क्रय किया था उस समय वादी का मात्र 05 साल का नाबालिग था, तथा स्कुल मे प्रवेश भी नही लिया था उसके बाद वादी के पिता ने वादी का स्कुल मे दाखिला करवाया तब स्कुल रेकर्ड मे वादी का नाम जगदीशप्रसाद पुत्र बलुराम लिखवा दिया है। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे वादी का अशुद्व नाम जगमाल पुत्र बालु दर्ज कर दिया गया है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबदी, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र बलुराम ही है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 1023, 1259/1023 रकबा क्रमशः 21.03, 4.00 बीघा कुल रकबा 25.03 बीघा भूमि, मौजा तालो का पार, पटवार मण्डल कोटडा, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम जगमाल पुत्र बालु के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र बलुराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाड़मेर सहायक कलेक्टर (SDO) शिव	

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :– जगदीश प्रसाद पुत्र बलुराम, जाति– मेगवाल, नि0 शिव, तह0 शिव।

बनाम

प्रतिवादी :– राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :– 1. श्री ब्रजमोहन कुमावत एडवोकेट– वादी।
2. प्रतिवादी राज पैराकार उप0।

वाद संख्या 52/17

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादी को आज दिनांक 16.08.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है किः–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 1023, 1259/1023 रकबा क्रमशः 21.03, 4.00 बीघा कुल रकबा 25.03 बीघा भूमि, मौजा तालो का पार, पटवार मण्डल कोटडा, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम जगमाल पुत्र बालु के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र बलुराम घोषित किया जाता तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 16.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: